

B-3

संख्या- 1267/15-7-16 191/1997
=====

प्रमुख,

श्री अशोक यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
मिथा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र,
प्रति विहार नई दिल्ली ।

मिथा 171 अनुभाग

संलग्न: दिनांक: 6 जुलाई, 1998

विषय:- उत्तराखण्ड पब्लिक स्कूल ई-1 सेक्टर-56 नौयडा गाजियाबाद को सी0बी0
सम0डी0 नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।
महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे पत्र कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखण्ड पब्लिक स्कूल ई-1 सेक्टर 56 नौयडा गाजियाबाद को सी0बी0सम0डी0 नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्न लिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

111 विद्यालय की पंजीकृत सौतापटी का तमम तमम पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

131 विद्यालय में कम से कम दस प्रशिक्षित स्थापन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वार्षिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/की तिल पार दि 0डिपन स्कूल सर्टीफिकेट इजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस शिक्षा परिषद से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तब राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

151 संस्था के अधिक एवं निम्नोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य सुविधाओं से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।

Adugi
Principal
Uttarakhand Public School
E-1, Sector 56, Noida U.P.

Jeprko
Manager
Uttarakhand Public School

16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अंगतकीय उत्पन्न माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

18। विद्युत एवं वा. रिफार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा ।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/कर्मचारियों को निर्धारित वेतनमान तथा परिसंस्थानों का सुगमता दिया जा रहा है ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की सूक्ष्म या ग्राह्यता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अशोक गांगुली
संयुक्त सचिव ।

सूचक 111/15-7-1998 तद्विनांक
=====

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मध्यमिक संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।
- 4- निरीक्षक, आंगत भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पब्लिक स्कूल ई-1, सेक्टर 56 नोयडा गाजियाबाद ।

आज्ञा है,

Adangi
Principal
Uttarakhand Public School
E-1, Sector-56, Noida U.P.

HePuho
Manager
Uttarakhand Public School

Sharma
अशोक गांगुली
संयुक्त सचिव ।